लोकसभा अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिये

- ग्रामीण पुलिस लाईन में बन रहे कम्यूनिटी हॉल का किया शिलान्यास
- ऑपरेशन गरूड़व्यूह व गरिमा के पोस्टर का विमोचन किया

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम, एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित अन्य कई बिन्दुओं को लेकर गुरूवार को कोटा ग्रामीण पुलिस लाईन के सभागार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की एवं सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर कार्यवाही को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवादियों को सुनकर उनकी शिकायतों पर समयबद्ध कार्यवाही करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु भी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया, समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस में संसाधनो की कमी के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान परिवादियों को जरिये वीडियो कॉल सुनने हेतु कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा जारी व्हाट्स-अप नम्बर 8764520202 को लॉन्च किया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम एवं उनको भय मुक्त रखने हेतु कालिका फोर्स को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रवाना किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीण पुलिस लाईन में बन रहे कम्यूनिटी हॉल का भी शिलान्यास किया। वहीं शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध चलाये गये अभियान ऑपरेशन गरूड़व्यूह व पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम एवं जागरूकता हेतु चलाये गये अभियान ऑपरेशन गरिमा के पोस्टर का विमोचन किया। नशा मुक्ति अभियान के लिये अगले तीन महिने में कोटा-बूंदी के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

पुलिस ने सोशल मिडिया पर एक प्लेटफार्म तैयार किए है, जहां नशा बेचने वालों की सूचना गोपनीय तरीके से दी जा सकेगी। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद गोयल, शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, जिला बूंदी के पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र मीणा के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओएसडी राजीव दत्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओएसडी अंकित जैन सहित कोटा शहर, ग्रामीण एवं बूंदी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित वृताधिकारी मौजूद थे।

श्रमदान किया

कोटा, (निसं)। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े-2025 के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक दिन, एक घंटा, एक साथ थीम पर नगर निगम कोटा दक्षिण के ट्रांसपोर्ट एरिया में प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक श्रमदान किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत श्रमदान के दौरान नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त ने वहां उपस्थित ठेले वालो/दुकानदारों को गन्दगी न फैलाने के निर्देश दिये एवं आमजन को घरों व दुकानों में कचरा पात्र रखनें की अपील की, साथ ही श्रमदान में उपस्थित कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष एवं मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी, नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने स्वयं सड़क पर श्रमदान कर आमजन से शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वच्छता पखवाड़े में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सफाई मित्रों का सम्मान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा द्वारा किया गया। विधायक द्वारा सफाई मित्रों को उत्कृष्ट योगदान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

नेत्रदान सम्पन्न कराया

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी निवासी रवीश कुमार गोयल का पार्क में घूमते समय हृदयघात से आकस्मिक निधन हो गया, रवीश और उनकी पत्नि छाया गोयल पतंजलि योग समिति, आर्य समाज संस्थान के साथ-साथ, कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। छाया ने अपना,नेत्रदान का संकल्प पत्र भी शाईन इंडिया फाउंडेशन, के साथ वर्ष 2018 में भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही दोनों बेटे नितिन और डॉ.अमित गोयल से, पिता के नेत्रदान के लिए सहमति प्राप्त की। सभी की सहमति मिलने के बाद, दादाबाड़ी स्थित निवास स्थान पर नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। नेत्रदान कि पुनीत कार्य में संस्था के ज्योति मित्र डॉ.उमेश गोयल, मुकेश गोयल और हिमांशु उपाध्याय का सहयोग रहा।

जीएसटी उत्सव नहीं, जनता से माफी मांग कर वसूला गया टैक्स वापस लौटाए सरकार : धारीवाल

- कोटा की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में कोचिंग स्टूडेंटस पर लगा जीएसटी भी बड़ा कारण

कोटा, (निसं)। देश और प्रदेश की जनता को 8 साल तक जीएसटी के नाम पर लूटने वाली सरकार को जीएसटी उत्सव बनाने की बजाय 8 साल में जनता से लूटी गई रकम को माफी मांगकर वापस लौटाना चाहिए। पूर्व मंत्री कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने बयान जारी कर बीजेपी पर हमला बोला है।

धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय, अलग-अलग 9 स्लैब से वसूली कर "गब्बर सिंह टैक्स" लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब 2.5 लाख करोड़ के 'बचत उत्सव' की बात कर के जनता को गहरे घाव देने के बाद गुमराह करने की कोशिश की जा रही है लेकिन जनता इस सरकार से इतना त्रस्त हो गई है कि युवा, किसान, व्यापारी समेत समाज का बड़ा तबका मौजूदा समस्याओं से मजबूर होकर सामना कर रहा है। सरकार ने टैक्स में राहत सिर्फ चुंनिदा उद्योगपतियों को दी है बाकी देश की करोड़ों जनता से जबरन टैक्स के नाम पर वसूली का काम किया हैं।

कोटा की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में कोचिंग स्टूडेंटस पर लगा जीएसटी भी बड़ा कारण-पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जीएसटी को लेकर एक बार फिर विरोध दर्ज करवाते हुए कहा है कि कोचिंग स्टूडेंट्स से कोटा गुलजार रहा करता था लेकिन 18 पर्सेंट जीएसटी की मार लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स को दी गई, कांग्रेस सरकार के वक्त मैं दिल्ली में आयोजित जीएसटी की बैठक में हर बार केंद्र सरकार के मंत्रियों को जीएसटी में राहत देने की मांग की लेकिन इस सरकार ने कोचिंग पर लगाया गया जीएसटी को खत्म करने राहत देने पर कोई विचार कभी नहीं किया।

कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री अब कैसे हालातों में है यह किसी से छुपी नहीं है, जीएसटी उत्सव की बात की जा रही है लेकिन आज भी कोचिंग स्टूडेंटस से 18 परसेंट टेक्स वसूला जा रहा हैं।

धारीवाल ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया तो ऐसे बखान किया जैसे अर्थव्यवस्था में क्रांति आने वाली है लेकिन देश की जनता की कमर तोड़ दी गई। आज बीजेपी वाले को 8 साल बाद याद आया कि जीएसटी कम करना है, फिर देश की जनता को 8 साल तक लूटा क्यों इसका जवाब दीजिये जनता से माफी माँग कर वापस लौटना चाहियें। भाजपा सरकार की जन-विरोधी नीतियों का कांग्रेस हमेशा विरोध करती आई है हमारा विरोध हमेशा जनता के हित के मुद्दों पर जारी रहेगा।

आदि गौड़ ब्राह्मण सभा का शपथ ग्रहण समारोह व डांडिया महोत्सव सम्पन्न

कोटा, (निसं)। आदि गौड़ ब्राह्मण सभा, कोटा की नव-नियुक्त कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) एवं संभागीय अध्यक्ष आदि गौड़ ब्राह्मण सभा कोटा संभाग, शिवकान्त शर्मा द्वारा सम्पन्न करवाया गया।

इस नवनियुक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, महामंत्री राजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमानंद शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा (नयागांव), कुंजबिहारी(अरण्डखेड़ा), मंत्री मनोज शर्मा, कोषाध्यक्ष कुंजबिहारी शर्मा, सह-कोषाध्यक्ष कमलकान्त शर्मा, संगठन मंत्री योगेन्द्र गौड़, कमला कान्त शर्मा, प्रचार मंत्री विष्णु कान्त, नवल शर्मा, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र गौड़, अजय व्यास, सांस्कृतिक मंत्री कृपा शंकर गौड़, गिरधर गोयल दीक्षित, महिला अध्यक्ष उमा शर्मा, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित सम्पूर्ण कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। शपथग्रहण के उपरांत समाज के वरिष्ठ सदस्यों को वरिष्ठ समाजसेवक सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें लक्ष्मी चन्द गौड़, रामेश्वर शर्मा, रामप्रताप शर्मा, श्याम सुन्दर शर्मा, माणक चन्द्र शर्मा, मोहन शर्मा, श्याम मनोहर हरित, अनिल गौड़, राजीव शर्मा का मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान किया गया। इसके उपरांत समाज परिसर में डांडिया उत्सव प्रारंभ किया गया जिसमें कोटा दक्षिण विधायक पत्नी गीता शर्मा ने डांडिया उत्सव की मुख्य अतिथि गीता शर्मा व जज डॉक्टर मयंका शर्मा, कुसुम शर्मा के साथ भाग लिया। इस डांडिया महोत्सव में 10 साल तक के बच्चों का तथा 10 से 20 साल तक के बच्चों का एवं कपल डान्स और दुर्गावाहिनी डान्स सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गऐं, कार्यक्रम उपरांत प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को पारितोषिक वितरण किया गया।

सी.एम.एच.ओ. को 40 पोषण किट सौंपे

कोटा, (निसं)। रामदुलारी जिंदल मेमोरियल एण्ड हैल्थ केयर समिति की ओर से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों के लिए 40 निक्षय पोषण किट गुरूवार को स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर को सौंपे गए। इस मौके पर संस्था के सदस्य योगेश डंग, प्रबंधक विजय गौतम और सीएमएचओ कार्यालय के डीपीओ नरेन्द्र कुमार वर्मा, वरीष्ठ चिकित्सक डॉ. सुधीन्द्र श्रृंगी व डॉ.अनिल मीणा, अमित शर्मा, यश शर्मा, हर्षिता, भूवनेश्वर नागर आदि मौजूद रहे। टीबी रोगियों को इन पोषण किटों का वितरण शुक्रवार को आयोजित स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार स्वास्थ्य शिविरों में किया जाएगा। इसी तरह सर्व ब्राह्मण समाज कोटा की ओर से भी टीबी रोगियों के लिए ईश्वर शर्मा अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ संभाग तथा प्रेम शंकर शर्मा युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ने 60 पोषण किट टीबी क्लिनिक में उपलब्ध कराए हैं। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था या सामाजिक संस्था, भामाशाह, कॉरपोरेट, आम नागरिक निक्षय मित्र बनकर सहमति प्राप्त टीबी रोगियों को उपचार अवधि में 6 माह तक पोषण सहायता उपलब्ध करा सकते है।

स्काउट यूनिट प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य हो : डॉ. मुकेश दाधीच

कोटा भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ ने विभिन्न विद्यालयों में स्काउट की विस्तृत जानकारी देने के अंतर्गत पुस्तिका 'वार्षिक दर्पण' विद्यालय की प्रिंसिपल को भेंट की है।

- विद्यार्थियों को स्काउट आंदोलन से जुड़ने का आव्हान किया

कोटा, (निसं)। स्काउट राष्ट्रभक्त, अनुशासन प्रिय, विश्वसनीय, साहसी, वफादार, विनम्र, सबका मित्र, पशु-पक्षियों का प्रेमी होता है।

इसी भावना के अंतर्गत स्काउट की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड स्थानीय संघ कोटा के प्रधान डॉ.मुकेश मोहन दाधीच, उप-प्रधान गिरीश भार्गव, आजीवन सदस्य प्रतिनिधि सुधीन्द्र गौड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विशिष्ट पूर्व विद्यालय नयापुरा कोटा सहित विभिन्न विद्यालयों में स्काउट की विस्तृत जानकारी देने के अंतर्गत पुस्तिका 'वार्षिक दर्पण' विद्यालय की प्रिंसिपल गीता मीणा को भेंट की गई।

इस मौके पर स्थानीय संघ के सदस्यगण सहित विद्यालय स्टॉफ उपस्थित रहा। प्रिंसिपल गीता मीणा ने इस मौके पर विद्यार्थियों को स्काउट आंदोलन से जुड़ने का आव्हान किया तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर स्थानीय संघ प्रधान डॉ मुकेश दाधीच ने बताया कि स्काउट की सराहनीय विशिष्ट सेवा करने पर राष्ट्रपति अवार्ड, राज्यपाल अवार्ड जिला स्तरीय अवार्ड प्राप्त होते हैं जिनका भविष्य में हायर एजुकेशन तथा राजकीय सेवाओं में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होता है। अतः स्काउट होना सर्वांगीण विकास की गारंटी है।

उप प्रधान गिरीश भार्गव ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों के सहयोग करने से विद्यालयों के विकास का काम तेजी से चलता है बच्चों को बेहतरीन शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं और भविष्य में भी और अधिक जनसहयोग के लिए भामाशाहों को भी ऐसे सामाजिक और नेक कार्य में जोडने का प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए। आजीवन सदस्य प्रतिनिधि सुधीन्द्र गौड़ ने कहा कि आपदा, बाढ राहत, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था आदि अनेक आमजन को सहयोग देने में स्काउट हमेशा आगे रहता है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1100 **विज्ञप्ति** दिनांकः-24.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित कृषि भूमि योजना देव नगर खसरा नं. 368 में स्थित भूखंड संख्या 46 आवेदक/आवेदिका श्रीमती आबेदा अख्तर पत्नी श्री शौकत अली निवासी मुस्लिम के चबूतरे बागर की गली श्रीपुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 799 दिनांक 13.08.2024 को श्री मोहसिन खान पुत्र श्री मंजूर खान के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2025 को जर्ये मुख्तारआम मोहम्मद जावेद पुत्र श्री मोईनुद्दीन द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती आबेदा अख्तर पत्नी श्री शौकत अली के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांकः-न.पा.छ./2025/4487 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांकः-23.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्रीमति कमलेश पत्नि श्री सुरज यादव जाति यादव निवासी छबड़ा तह. छबड़ा बारां	352	नेशनल पार्क कॉलोनी	95	25x40 =1000

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/2002 दिनांकः-18.09.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती रीता चौधरी पत्नी श्री हेमकान्त चौधरी निवासी रावतभाटा द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा के श्रीगणेश नगर आवासीय योजना, रावतभाटा के आवासीय भूखण्ड संख्या 384 श्रेणी (ब) साईज 30x50 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट अर्थात् 139.41 वर्गमीटर के स्वामित्व संबंधी एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ इस भू-तल निर्मित आवासीय भूखण्ड पर प्रथम तल की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शों की प्रतियों सहित प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन बाबत् प्रस्तुत किया हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवेदन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/फर्म/विभाग/संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य/सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् प्राप्त कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/9007 दिनांकः 25.9.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लालचंद यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब, श्री प्रेमचन्द यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब एवं श्री महावीर यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब निवासी भूखण्ड संख्या 357, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज॰) ने नगर निगम, कोटा दक्षिण में भूखण्ड संख्या 9-बी, झालावाड़ रोड योजना, कोटा क्षेत्रफल 1710 वर्गफुट का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 9-बी, झालावाड़ रोड योजना, कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट का विक्रय कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक विक्रय/80/874 दिनांक 06.09.1980 से श्री मांगी लाल लोछब पुत्र श्री कालू लाल को किया गया। श्री मांगी लाल लोछब का देहावसान दिनांक 17.08.2011 को हो जाने के उपरान्त श्री मांगी लाल लोछब के विधिक वारिसान श्रीमती कमला यादव पत्नी स्व. श्री मांगी लाल एवं श्री रितेश यादव पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह यादव माता का नाम अनिता यादव ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 12.10.2015 से उक्त व्यावसायिक भूखण्ड में से स्वयं का हक श्री लालचंद यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब, श्री प्रेमचन्द यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब एवं श्री महावीर यादव पुत्र स्व. श्री मांगी लाल लोछब के पक्ष में त्याग दिया है। अतः व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 9-बी, झालावाड़ रोड योजना, कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट में से मौके पर 1710 वर्ग फुट क्षेत्रफल उपलब्ध हो रहा है।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांकः-न.पा.छ./2025/4525 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांकः-23.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्रीमती सन्तोष नागर पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद नागर जाति धाकड़ निवासी छबड़ा तह. छबड़ा बारां	169/ 1337	मरुति नगर प्रथम	91	20x40=800

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांकः-न.पा.छ./2025/4514 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांकः-23.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री राम मनोहर सोनी आत्मज श्री बिहारीलाल सोनी जाति स्वर्णकार निवासी छबड़ा तह. छबड़ा बारां	619	हिलव्यू कालोनी	129	21+30/2x55 =1650

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांकः-न.पा.छ./2025/4522 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांकः-23.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री चन्द्रभान श्रीवास्तव आत्मज श्री रामनारायण श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी छबड़ा तह. छबड़ा बारां	619	हिलव्यू कालोनी	23	52+53/2x30 =1575

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांकः-न.पा.छ./2025/4520 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांकः-23.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्रीमती राफिया खानम पत्नी श्री इमदाद खान जाति मुसलमान निवासी जोहरीपुरा मोहल्ला छबड़ा तह. छबड़ा बारां	715, 718	बल्लभ नगर कालोनी	214	20x40=800

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश भवानीमंडी जिला झालावाड़ (राज.)
कैलाशचन्द बनाम शंकरलाल व अन्य
केस नम्बर 50/2024
जन सामान्य को सूचना

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कैलाश चन्द ने शंकर लाल व अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी कैलाश चन्द के दत्तक पिता मृतक भैरुलाल मेहर आत्मज भग्गा के द्वारा अपने बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा डग में जमा राशि प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे तथा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आगामी तारीख 17 माह 10 सन् 2025 नियत की गई है। अतः इस प्रार्थना पत्र में हर खास एवं आम को कोई आपत्ति हो तो स्वयं या प्लीडर या प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। यह आज तारीख 24 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञानुसार
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
भवानीमंडी जिला झालावाड़ (राज.)

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार जितेन्द्र सिंह हाडा द्वारा आमीन पुत्र अलाउद्दीन के आधिपत्य एवं स्वामित्व की एक सम्पति, प्लाट नं॰18, वाके चंचल विहार, ग्राम कुन्हाडी, तह. लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान को क्रय किया जा रहा है यह कि उक्त सम्पत्ति को आमीन ने उच्छव लाल से जर्ये रजि॰विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2024 से क्रय किया था। एव